मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक-2010

लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी देने वाला देश और दुनिया का पहला कानून

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने प्रदेश के मानसून सत्र में कहा कि स्वर्णिम मध्यप्रदेश के निर्माण के लिये सुशासन पहली शर्त है। राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में स्वर्णिम मध्यप्रदेश के निर्माण के लिये पारित 70 सूत्रीय संकल्प-पत्र के 69वें संकल्प में सिटीजन चार्टर व्यवस्था को कानूनी स्वरूप देने संबंधी संकल्प की पूर्ति के उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। विधेयक पूर्णतया सुविचारित है और इसका एकमात्र उद्देश्य आम जनता को निश्चित समय सीमा में लोकसेवाओं को प्रदान करवाना है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक-2010 देश ही नहीं दुनिया का पहला ऐसा कानून है जिसमें आम-आदमी को निर्धारित समय-सीमा में लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी दी गयी है। श्री चौहान ने कहा कि विधानसभा में इस विधेयक के पारित होने का यह दिन सचमुच में ऐतिहासिक है। सदन ने विधेयक को मानसून सत्र के दौरान सर्वसम्मति से पारित किया।

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक-2010 देश ही नहीं दुनिया का पहला ऐसा कानून है जिसमें आम-आदमी को निर्धारित समय-सीमा में लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी दी गयी है। श्री चौहान ने कहा कि विधानसभा में इस विधेयक के पारित होने का दिन सचमुच में ऐतिहासिक है। सदन ने विधेयक को मानसून सत्र के दौरान सर्वसम्मति से पारित किया।

विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वर्णिम मध्यप्रदेश के निर्माण के लिये सुशासन पहली शर्त है। राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में स्वर्णिम मध्यप्रदेश के निर्माण के लिये पारित 70 सूत्रीय संकल्प-पत्र के 69वें संकल्प में सिटीजन चार्टर व्यवस्था को कानूनी स्वरूप देने संबंधी संकल्प की पूर्ति के उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक हड़बड़ी में नहीं लाया गया है। विधेयक पूर्णतया सुविचारित है और इसका एकमात्र उद्देश्य आम जनता को निश्चित समय सीमा में लोकसेवाओं को प्रदान करवाना है।

अक्टूबर 2009 में संपन्न मंथन कार्यशाला में सिटीजन चार्टर व्यवस्था को कानूनी स्वरूप देने पर विचार हुआ था। इसके बाद एक नवंबर 2009 को राज्य के स्थापना दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में भोपाल के लाल परेड ग्राउण्ड पर भी उन्होंने महामहिम राज्यपाल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सुरेश पचौरी और नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी की उपस्थिति में सिटीजन चार्टर व्यवस्था को कानूनी स्वरूप देने का उल्लेख किया था। श्री चौहान ने बताया कि इसके अलावा राज्य मंत्रिपरिषद भी इस पर विचार कर चुकी है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह विधेयक राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने प्रतिपक्षी सदस्यों से कहा कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती तो विधेयक भी नहीं आता। श्री चौहान ने कहा कि जिस दृढ़ इच्छाशक्ति से यह विधेयक लाया गया है उसी दृढ़ इच्छाशक्ति से इसे लागू भी किया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिये, जनता के द्वारा

संचालित शासन व्यवस्था है। इसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, अधिकारी-कर्मचारी सब शासक नहीं अपितु जनता के सेवक हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की भी पहली शर्त सुशासन के माध्यम से जनकल्याण के काम करना है।

श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार के समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के बाद प्रदेश में जनसमस्याओं के निराकरण में तीन गुना वृद्धि दर्ज हुई है। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के निराकरण की प्रक्रिया निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और उसमें सदैव सुधार की गुंजाइश रहती है। यह विधेयक भी शुरुआत है और बाद में जरूरत होने पर और भी प्रावधान किये जाएँगे।

श्री चौहान ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा प्रभावी की गयी सिटीजन चार्टर व्यवस्था में उत्तरदायी प्रावधान नहीं होने के कारण यह आवश्यक समझा गया कि निर्धारित समय-सीमा में काम नहीं करने वाले लोकसेवकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये वर्तमान विधेयक तैयार किया जाये। श्री चौहान ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सभी लोकसेवक काम नहीं करते। उन्होंने कहा कि अच्छा काम करने वाले भी बड़ी संख्या में हैं परन्तु समय-सीमा में अपने दायित्वों को नहीं निभाने वालों की जिम्मेदारी हमें तय करना ही होगी। न केवल जिम्मेदारी तय करना होगी बल्कि उन्हें दंडित करने की व्यवस्था भी बनानी है। यह विधेयक इसी उद्देश्य की पूर्ति करेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य अभी जरूर सीमित है। शनैः-शनैः जैसा अनुभव होगा उसके अनुसार परिवर्तन किये जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में लोकसेवाओं को चिन्हित कर उनके प्रदान की गारंटी दी जायेगी। जन्म, जाति और मूल निवासी प्रमाण-पत्र का प्रदाय, खसरा-खतौनी की नकल का प्रदाय, नल कनेक्शन जैसी अनेक लोकसेवाएं इसमें अधिसूचित होंगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि निर्माण के कामों में देरी विकास में प्रमुख अवरोध है। बाणसागर योजना 30 वर्ष तक पूरी नहीं हुई। बरगी बांध 20 साल पहले बन गया परन्तु नहरें अभी तक नहीं बनीं। उन्होंने कहा कि एक तरफ हम दुनिया के सर्वोत्कृष्ट और सबसे बड़े लोकतंत्र हैं परन्तु निर्माण कार्यों की बात आये तो वे बीस-बीस साल तक पूर्ण नहीं होते। निर्माण के काम समय पर पूरे हों, इसकी जवाबदेही तय करने का काम भी भविष्य में करना होगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि इस विधेयक के पारित होने के बाद अधिसूचित सेवाओं को प्रदान करने का उत्तरदायित्व किस अधिकारी का होगा और वह कितने दिन में उसे प्रदान करेगा यह अधिसूचना के माध्यम से स्पष्ट किया जायेगा। यह स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति सेवा चाहेगा उसे सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र होना होगा। सेवा प्रदाय न करने की स्थिति में प्रथम एवं द्वितीय अपील करने का अधिकार भी होगा। प्रथम एवं द्वितीय अपील अधिकारी भी सेवा प्रदान करने के आदेश दे सकेंगे। अगर सेवा प्रदान करने में विलंब होगा तो 250 रुपये प्रतिदिन के मान से ऐसे विलंब के लिए जुर्माना संबंधित पदाभिहित अधिकारी पर किया जा सकता है। इस जुर्माने की अधिकतम सीमा 5000 रुपये होगी। इसी प्रकार यदि पदाभिहित प्रथम अपीलीय अधिकारी (Designated Officer) बिना पर्याप्त एवं समुचित कारणों के लोक सेवा प्रदान करने में असफल रहता है तो भी उन पर न्यूनतम 500 रुपये एवं अधिकतम 5000 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है। किस अधिकारी-कर्मचारी के पास कितने दिन नस्ती रहेगी, यह भी तय किया जायेगा।

विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रतिपक्षी सदस्यों की शंकाओं का निराकरण करते हुए कहा कि विधेयक में स्पष्ट प्रावधान है कि नागरिक का आवेदन लोकसेवकों को न केवल प्राप्त करना ही होगा, बल्कि उसकी अभिस्वीकृति भी देनी होगी। उन्होंने कहा कि आवेदन प्राप्ति के साथ ही समय-सीमा प्रारंभ हो जायेगी। उन्होंने बताया कि विधेयक में लोकसेवकों द्वारा समय-सीमा में कार्य संपादित नहीं करने के लिये प्रावधानित अर्थदंड की राशि भी आवेदक को प्रदाय की जायेगी जो एक तरह से विलंबित समय और आने-जाने के व्यय की प्रतिपूर्ति होगी। उन्होंने कहा कि अर्थदंड के अलावा जरूरी होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भविष्य में विधेयक के दायरे में मुख्यमंत्री, मंत्री सहित और लोग भी लाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक सिटीजन चार्टर व्यवस्था को आवश्यक नख-दंत उपलब्ध करवायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधेयक के माध्यम से आम जनता को निश्चित समय-सीमा में उसके अधिकारों की प्राप्ति होगी। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतंत्र के आवश्यक अंग हैं और मुझे उम्मीद है कि मध्यप्रदेश का यह विधेयक पूरे देश में एक नयी बहस को जन्म देगा। श्री चौहान ने कहा कि नागरिकों के काम समय पर न होने से ले-देकर काम करवाने की प्रवृत्ति बढ़ती है जिससे भ्रष्टाचार पनपता है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान के उत्तर के बाद सदन ने सर्वसम्मिति से मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक-2010 को पारित किया।